बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्रांक- सं०सं०-एम-4-53/2007-6439/वि०   दिनांक- 28.08.2018

विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या- 306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3758, दिनांक- 31.05.2017, 4573 दिनांक- 04.07.2017 एवं 8236 दिनांक- 17.10.2017 एवं 4443 दिनांक 14.06.2018 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3758, दिनांक- 31.05.2017 की कंडिका 5(क) में किये गये प्रावधान के अनुसार 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की वृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कई बार कम मूल्य के राशि के पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु भी विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है ।

3. कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या- 53 टिप्पणी (iii) के प्रावधान के अनुसार किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में, विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत में कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि के संबंध में, पुनः प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने का कोई प्रावधान कार्यपालिका नियमावली में उल्लेखित नहीं है ।

4. उपरोक्त के क्रम में किसी भी स्कीम के निर्बाध संचालन हेतु मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की संभावित वृद्धि होने की स्थिति में पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से संबंधित संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । इस संबंध में दिनांक 24.07.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सहमति बनी है ।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 5(क) में प्रवाधिनित है, कि मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव तथा विभागीय मंत्री का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, भले ही मूल स्कीम की स्वीकृति पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी हो ।

6. उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3758, दिनांक 31. 05.2017 की कंडिका 5(क) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

“किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा ।”

7. उपरोक्त के आलोक में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के संगत नियम में संशोधन करना, संहिता के प्रशासी (पथ निर्माण) विभाग सुनिश्चित करेगा ।

8. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेगी । वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र भी इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय वं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राहुल सिंह
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- परी० एवं शो०सं०- 05/2017-10395 (S) दिनांक- 13.04.2017

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (यां०), उत्तर बिहार उपभाग/मुख्य अभियंता (यां०), दक्षिण बिहार उपभाग एवं मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च, पथ, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव